FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मुकाम दीगोद

युसूफ अहमद खान बनाम राज० सरकार

किस्म मुकदमा इजराय पालना पत्र नं. 70 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/7/24	इजराय पालना पत्र, वादी युसूफ अहमद खान की ओर से श्री अधिवक्ता श्री आबिद खान द्वारा प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। इजराय पालना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पारित निर्णय दिनांक 9-9-23 की पालना हेतु TDR दीगोद को पत्र जारी हो। मिसल वास्ते पालना रिपोर्ट इंतजार दिनांक 1-8-24 को पेश हो। Gautam	
1/8/24	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी / प्रतिवादी उपस्थित। [illegible] न राजकार्य में व्यस्त [illegible] में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली मुल्तवी दिनांक 31/07/25 को पेश।	
31/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप०। जो शामिल फाईल इजराय पालना प्राप्त हुई। की जाती है। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से संख्या से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प दीगोद, जिला कोटा

मि0 न0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
159 / 2022	09.11.2022	09.09.2023

1. युसूफ अहमद खान आत्मज छोटे खा जाति मुसलमान निवासी ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 राज0 टीनेन्सी एक्ट बाबत इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थिति :–

वादीगण की और से :– श्री आबेद खान एडवोकेट

प्रतिवादीगण की और से :– तहसीलदार दीगोद

–: निर्णय :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के खाते खाता संख्या नया नम्बर 452 व खाता पुराना नम्बर 5[illegible] पर खसरा नम्बर 1070 / 1869 की 0.04 है0, 1230 की 1.47 है0, 1246 की 1.3[illegible] है0, 2095 / 498 की 0.01 है0, 2096 / 499 की 0.04 है0, 2097 / 500 की 0.01 है0 2098 / 1229 की 0.18 है0, 2099 / 1544 की 0.76 है0, 2138 / 501 की 0.01 है0 कुल किता 9 रकबा 3.83 है0 भूमि दर्ज चली आ रही है। यह कि वादी ग्राम सुल्तानपुर का निवासी है वादी का नाम युसूफ अहमद खान है एवं गांव में युसूफ अहमद से भी पुकारा जाता है। यह कि वादी उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम युसूफ अहमद दर्ज रिकार्ड है। यह कि वादी का नाम युसूफ अहमद खान है। वादी के राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र , पेन कार्ड व श्रम कार्ड, आदि मे युसूफ अहमद खान अंकित है जिस कारण वादी का उक्त भूमि पर ऋण आदि लेने में परेशानी आ रही है अतः उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम युसूफ अहम के स्थान पर युसूफ अहमद खान उर्फ युसूफ अहमद दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जानेकी आज्ञा व डिक्रि पारित की जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तवली विधिवत करवायी गई।

3. प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद द्वारा जवाब दावा पेश करने बजाय सीधे ही आदेशिका दिनांक 09.09.2023 हस्ताक्षर कर राजस्व रिकोर्ड में वादी युसूफ अहमद के स्थान पर युसूफ अहमद खान किये जाने पर कोई आपत्ति पेश नही की है।

फोटो प्रति प्रमाणित

दो रुपये TWO RUPEES
FOR COPYING FEES ONLY

वादी के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। वादी के अधिवक्ताओं ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के खाते खाता संख्या नया नम्बर 452 व खाता पुराना नम्बर 50 पर खसरा नम्बर 1070 / 1869 की 0.04 है0, 1230 की 1.47 है0, 1246 की 1.31 है0, 2095 / 498 की 0.01 है0, 2096 / 499 की 0.04 है0, 2097 / 500 की 0.01 है0, 2098 / 1229 की 0.18 है0, 2099 / 1544 की 0.76 है0, 2138 / 501 की 0.01 है0 कुल किता 9 रकबा 3.83 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम युसूफ अहमद दर्ज है जबकि वादी का सही नाम युसूफ अहमद खान है। वादी का नाम आधार कार्ड , पेन कार्ड सभी सरकारी दस्तावेजात में युसूफ अहमद खान पुत्र छोटे खा दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में युसूफ अहमद पुत्र छोटे खा सहवन से दर्ज हो गया है। अतः उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का का नाम युसूफ अहमद के स्थान पर युसूफ अहमद खान दर्ज किया जावे।

5. वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी ग्राम नोताडा सम्वत 2075–78 , पेनकार्ड, राशन कार्ड, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य कार्ड की छायाप्रति पेश किये गये।

6. प्रकरण में वादी पक्ष के अधिवक्ता की बहस तथा प्रस्तुत जवाब सरकार एवं राजस्व रिकार्ड एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का गहन अध्ययन अवलोकन किया गया। पेश दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य के अधार पर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम युसूफ अहमद के स्थान पर युसूफ अहमद खान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के खाते खाता संख्या नया नम्बर 452 व खाता पुराना नम्बर 50 पर खसरा नम्बर 1070 / 1869 की 0.04 है0, 1230 की 1.47 है0, 1246 की 1.31 है0, 2095 / 498 की 0.01 है0, 2096 / 499 की 0.04 है0, 2097 / 500 की 0.01 है0, 2098 / 1229 की 0.18 है0, 2099 / 1544 की 0.76 है0, 2138 / 501 की 0.01 है0 कुल किता 9 रकबा 3.83 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम युसूफ अहमद पुत्र छोटे खा के स्थान पर युसूफ अहमद खान पुत्र छोटे खा दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार एवं नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

FOR COPYING FEES ONLY
TWO RUPEES

निर्णय आज दिनांक 09.09.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प दीगोद में मजमें आम में सुनाया गया

फोटो प्रति प्रमाणित

9/9/23

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

डिक्री मुकदमा

(आ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा

1. युसूफ अहमद खान आत्मज छोटे खा जाति मुसलमान निवासी ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 राज0 टीनेन्सी एक्ट बाबत इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थित :–

वादीगण की और से :– श्री आबिद खान एडवोकेट

प्रतिवादीगण की और से :– तहसीलदार दीगोद

मिसल नम्बर – 159/22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :– वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित भूमि ग्राम नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के खाते खाता संख्या नया नम्बर 452 व खाता पुराना नम्बर 50 पर खसरा नम्बर 1070/1869 की 0.04 है0, 1230 की 1.47 है0 1246 की 1.31 है0, 2095/498 की 0.01 है0, 2096/499 की 0.04 है0, 2097/500 की 0.01 है0, 2098/1229 की 0.18 है0, 2099/1544 की 0.76 है0, 2138/501 की 0.01 है0 कुल किता 9 रकबा 3.83 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम युसूफ अहमद पुत्र छोटे खा के स्थान पर युसूफ अहमद खान पुत्र छोटे खा दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है।तदनुसार डिकी जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 09.09.2023 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुददई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बवत इजराय हुक्मनामा	0	0	बवत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

अध्यक्ष

सदस्य

6/9/23

तालुका विधिक सेवा समिति

दो रुपये TWO RUPEES

FOR COPYING FEES ONLY